फर्द अहकाम

प्रकरण संख्या : 27 अपील / 19/2016 गणपतसिंह बनाम राज्य

कार्यवाही /आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
24.4-17	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। ~~उत्तर व बहस~~ समय चाहते हैं। अतः पत्रावली दि० 10-5-17 को पेश हो। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	
10.5-17	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। बहस हेतु समय चाहते हैं। अतः पत्रावली दि० 31-5-17 को पेश हो। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	
31-5-17	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। बहस हेतु समय चाहते हैं। अतः पत्रावली दिनांक 13-06-17 को पेश हो। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	
13-06-17	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 14-06-17 को पेश हो। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	
14-06-17	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है। पुनः प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि तहसीलदार, चाकसू स्वयं मौके पर उपस्थित होकर उभय पक्षों की उपस्थिति में मौका मुआयना करावें और यदि अतिक्रमण पाया जावे तो प्रकरण दर्ज कर न्यायोचित निर्णय पारित करें। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो। निर्णय खुले इजलास में सुनाया गया। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1642 20-6-17

न्यायालय श्री सुनील भाटी, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

अपील संख्या : 19/2016

ग्यारसी देवी पत्नी श्री हरिनारायण, जाति–जाट, निवासी–बंधा की ढाणी, हालवासी–रूपवास, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चाकसू, जिला जयपुर।

रेस्पोडेन्ट

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 08.07.2016 एवं इसके आधार पर दर्ज प्रकरण सं0 32/16 निरस्त करने बाबत्)

उपस्थितः–

1. श्री प्रकाशचन्द भारती, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक : 14.06.2017

तहसीलदार, चाकसू के आदेश क्रमांक विविध/16/543 दिनांक 08.07.2016 की पालना में तहसीलदार की अध्यक्षता में गठित टीम द्वारा दिनांक 08.07.2016 को सीमाज्ञान कराया जाकर अतिक्रमियों को 22 दिन में अतिक्रमण हटाये जाने का उल्लेख किया हैं और धारा 91 की रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने पर नोटिस दिया गया हैं, जिससे व्यथीत होकर यह अपील प्रस्तुत की गई हैं।

उक्त आशय की अपील प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर नोटिस रेस्पोडेन्ट जारी किये गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट् के विद्वान् अभिभाषक श्री प्रकाशचन्द भारती का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 08.07.2016 विधि–विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत पारित की गई है। मातहत न्यायालय ने अपीलान्ट् को बिना सुनवाई साक्ष्य–सबूत का नोटिस/अवसर दिये बिना मनमाने तौर पर एकतरफा राजनीतिक दबाव में सीमाज्ञान किया हैं। मौके पर किसी प्रकार के सीमाज्ञान की कार्यवाही नहीं की गई और न ही मौके पर कोई स्वतन्त्र राय के लोग उपस्थित थे। सारी रिपोर्ट कमरे में बैठकर एकतरफा तैयार की गई और अन्य लोगों के बाद में हस्ताक्षर कराये गये हैं। तथाकथित सीमाज्ञान रिपोर्ट में गड्डे की कोई दिशा दूरी नहीं बताई गई हैं इससे साफ जाहिर हैं कि सीमाज्ञान नही किया गया। मनमाने तौर पर तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर 22 दिन में परिसर खाली करने का आदेश दिया गया हैं जो मनमाने आदेश हैं, अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। इस सीमाज्ञान रिपोर्ट में कही अंकित नहीं हैं कि अपीलान्ट का अतिचार हैं। इसके बावजूद भी अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर धारा 91 का नोटिस जो दिया गया हैं, विधि–विरूद्ध होने से निरस्तनीय हैं। अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी पर कोई अतिचार नहीं हैं बल्कि तथ्य यह हैं कि अपीलान्ट की आराजी खसरा नं0 कुल किता 24 रकबा 11.32 हे0 खातेदारी

काश्तकारी की आराजी इसके सटवा हैं और स्वयं की आराजी पर ही निर्माण हैं कोई अतिचार नहीं हैं केवल मात्र राजनैतिक द्वेषता से अपीलान्ट को हैरान–परेशान कर बर्बाद करने की नियत से अपीलान्ट को अतिचार के प्रकरण में उलझाया जा रहा हैं। अपीलान्ट स्वयं एक शान्तिप्रिय निर्धन काश्तकार हैं और किसी प्रकार के मुकदमेबाजी में उलझना नही चाहता हैं। अतः तहसीलदार स्वयं की उपस्थिति में सीमाज्ञान कर प्रकरण का निस्तारण करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं हैं। तहसीलदार की उपस्थिति में किये गये सीमाज्ञान से यदि अपीलान्ट का कोई अतिचार पाया जाता हैं तो अपीलान्ट पाये गये अतिचार को स्वयं हटा लेगा। अतः अपील–अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे और तहसीलदार, चाकसू को स्वयं की उपस्थिति में उभय–पक्षों की मौजूदगी में सीमाज्ञान कराया जाकर प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण करने के निर्देश फरमाये जावे ।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर का कथन हैं कि तहसीलदार की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा मौके पर सीमाज्ञान मौजिज व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया हैं। मौके पर पाये गये अतिचार पर दोषियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर धारा 91 का नोटिस जारी किया गया हैं। प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण नहीं हुआ हैं। इसके बावजूद भी यदि पुनः सीमाज्ञान कराया जाकर प्रकरण का निस्तारण न्यायोचित तरीके से होता हैं तो कोई आपत्ति नहीं हैं।

हमनें उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। वरवक्त बहस अपीलान्ट के विद्वान–अभिभाषक श्री प्रकाशचन्द भारती ने कथन किया हैं कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट की खातेदारी काश्तकारी आराजी के सटवा हैं और खातेदारी आराजी में ही कब्जाकाश्त हैं। राजकीय सिवायचक आराजी पर कोई कब्जाकाश्त नहीं हैं। दिनांक 08.07.2016 को किया गया। सीमाज्ञान से वह सन्तुष्ट नहीं हैं। तहसीलदार की मौजूदगी में सीमाज्ञान कराया जावे तो प्रकरण का निस्तारण हो सकेगा, वरवक्त बहस विद्वान राजकीय अभिभाषक ने भी पुनः सीमाज्ञान कराये जाने में अनापत्ति जाहिर की हैं जो दिनांक 08.07.2016 को सीमाज्ञान तहसीलदार, चाकसू की अध्यक्षता में कराया जाना जाहिर किया हैं उसमें तहसीलदार, चाकसू के हस्ताक्षर न होने से मौके पर उपस्थित नहीं होना जाहिर होता हैं। अतः न्याय का सिद्धान्त हैं कि न्याय करते समय न्याय का दिखना भी आवश्यक हैं। चूंकि प्रकरण के निस्तारण में उभय–पक्षों को पुनः सीमाज्ञान कराये जाने में कोई आपत्ति नहीं हैं। अतः अपील–अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं और तहसीलदार, चाकसू को प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता हैं कि उभय–पक्षों की उपस्थिति में तहसीलदार स्वयं मौके पर उपस्थित होकर नियमानुसार सीमाज्ञान करावे और यदि सीमाज्ञान पर अतिचार पाया जावे तो दोषियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर सुनवाई साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर न्यायसंगत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

(सुनील भाटी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर